

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-20062022-236717
SG-DL-E-20062022-236717असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]	दिल्ली, सोमवार, जून 20, 2022/ज्येष्ठ 30, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 146
No. 333]	DELHI, MONDAY, JUNE 20, 2022/JYAISHTHA 30, 1944	[N. C. T. D. No. 146

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIपरिवहन विभाग
(लीड एजेंसी - सड़क सुरक्षा)

अधिसूचना

दिल्ली, 17 जून, 2022

फा. सं. 17(102)Plg./Tpt./2007/740.—पूर्ववर्ती अधिसूचना संख्या 17(102)Plg./Tpt./2007/525 दिनांक 17/06/2014 के अधिक्रमण में और वर्ष 2019 में यथा-संशोधित मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 215 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद्वारा इस अधिसूचना के प्रभावी होने के तारीख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रत्येक राजस्व जिले में जिला सड़क सुरक्षा समितियों (DRSC) का पुनर्गठन निम्नलिखित संरचना के साथ करते हैं, अर्थात्: -

- | | |
|---|-----------|
| i. जिलाधिकारी एवं कलेक्टर (पदेन) | - अध्यक्ष |
| ii. पुलिस उपायुक्त/पुलिस अधीक्षक (पदेन) | - सदस्य |

iii. मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य (जिला संबंधित) (पदेन)	- सदस्य
iv. कार्यकारी अभियंता, सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियां (जिला संबंधित)	- सदस्य
v. क्षेत्रीय कार्यालय के प्रतिनिधि, MoRTH	- सदस्य
vi. परियोजना निदेशक, एनएचएआई	- सदस्य
vii. नगर निकायों/शहरी/अधिसूचित निकायों के कार्यकारी अधिकारी	- सदस्य
viii. कम से कम एक नागरिक सामाजिक संगठन (सीएसओ) या राज्य में सड़क सुरक्षा सुधार पर काम कर रहे कोई अन्य गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)	- सदस्य
ix. जिला परिवहन अधिकारी	- सदस्य
x. संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, लोक निर्माण विभाग राज्य राज मार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के जिला प्रशासक के रूप में	- सदस्य सचिव

जिला सड़क सुरक्षा समितियों के विचारार्थ विषय और कार्य निम्नानुसार होंगे:

- I. जिले में सड़क दुर्घटनाओं की आवधिक समीक्षा
- II. राज्य सड़क सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन और इसके तहत निर्धारित लक्ष्यों की निगरानी करना।
- III. सड़क सुरक्षा के मामलों पर समय-समय पर जारी सड़क सुरक्षा समिति, भारत सरकार और राज्य सरकार के निर्देशों को लागू करें।
- IV. राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् के निर्णयों का जिले में क्रियान्वयन।
- V. जिले में हुई सड़क दुर्घटनाओं के विवरण पर राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् को नियमित रूप से ट्रैक और अपडेट करें, जिसमें निम्न शामिल होंगे:

- (क) वाहन का विवरण।
- (ख) दुर्घटना के कारण।
- (ग) मौके की जांच का विवरण, साक्ष्य यदि कोई हो।
- (घ) अपराधी का विवरण (यदि कोई हो)।
- (च) पीड़ितों और पीड़ितों की नवीनतम स्थिति का विवरण।
- (छ) चोट किस प्रकार की लगी है।
- (ज) दर्ज एफआईआर, यदि कोई हो।

VI. सड़क दुर्घटना के आंकड़े मासिक आधार पर सार्वजनिक डोमेन पर प्रकाशित करें:

- (i) जिला वेबसाइट पोर्टल (व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना)।
- (ii) MoRTH पोर्टल (<http://morth-roadsafety.nic.in/edisha/index.aspx>)

VII. जिला सड़क सुरक्षा योजना विकसित करना।

- VIII. जिले में सभी बड़े पैमाने पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 135ए के तहत फॉरेंसिक दुर्घटना जांच सुनिश्चित करें।
- IX. प्रतिक्रिया समय में सुधार और सड़क दुर्घटना में शिकार व्यक्ति को अस्पतालों को सौंपने में मदद करने के लिए एम्बुलेंस की इष्टतम स्थिति सुनिश्चित करें।
- X. जिले में केसलोड के अनुसार विभिन्न प्रकार की एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें।
- XI. जिले में बड़े पैमाने पर होने वाली घातक दुर्घटनाओं के लिए एक आपात कालीन चिकित्सा योजना तैयार करें।
- XII. पूर्व सूचना प्रणाली की स्थापना के माध्यम से अस्पतालों और एम्बुलेंस के बीच संबंध सुनिश्चित करना। आपात स्थिति में बिस्तरों की उपलब्धता का पता लगाने के लिए अस्पतालों के बीच संपर्क सुनिश्चित करना।
- XIII. सड़क सुरक्षा निधियों को रखने, आवश्यकताओं और संवितरण के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करना और जब भी आवश्यक हो, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् के साथ बातचीत करना।
- XIV. राज्य सड़क सुरक्षा परिषद/राज्य की लीड एजेंसी को नियमित रूप से जानकारी प्रदान करना और सड़क सुरक्षा उपायों की सिफारिश करना, विशेष रूप से प्रमुख दुर्घटना संभावित क्षेत्रों/ब्लैक स्पॉट आदि की पहचान के संबंध में और साथ ही इंजीनियरिंग, शिक्षा, प्रवर्तन और आपातकाल जैसे 4E के महत्व के क्षेत्रों में भी।
- XV. सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए गुड सामरिटन को बढ़ावा देना।
- XVI. अनुरोध किए जाने पर राज्य सरकार को तैयार करने या संशोधन करने के लिए सुझाव/सुझाव प्रदान करें:

ए. नियम U/s 107, U/s 138, U/s 176, U/s 210D, U/s. एमवी (ए) अधिनियम, 2019 के 215 डी

बी. एमवी (ए) अधिनियम, 2019 की धारा 135 के तहत योजना

जिला सड़क सुरक्षा समिति अपनी बैठक कम से कम पाक्षिक रूप से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित करेगी और अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थान पर महीने में कम से कम एक बार शारीरिक रूप से बैठक करेगी। बैठक के कार्यवृत्त को बैठक के 48 घंटों के भीतर जिला वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा और इसे MoRTH के वेबपोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा जैसाकि ऊपर VI (ii) में दिया गया है और MoRTH द्वारा डिजाइन और अनुमोदित प्रारूप में अपलोड किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश के अनुसार और उनके नाम पर,

ओ. पी. मिश्रा, विशेष आयुक्त (सड़क सुरक्षा)

TRANSPORT DEPARTMENT

(Lead Agency - Road Safety)

NOTIFICATION

Delhi, the 17th June, 2022

F. No. 17(102)Plg./Tpt./2007/740. —In supersession of previous notification No. 17(102)Plg./Tpt./2007/525 dated 17/06/2014 and in exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section 215 read with clause (41) of section 2 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) as amended in the year 2019, the Lieutenant Governor of National

Capital Territory of Delhi, hereby re-constitutes the District Road Safety Committees (DRSC) in each Revenue District of the National Capital Territory of Delhi with the following composition, namely:-

i. District Magistrate and Collector (Ex-Officio)	-	Chairman
ii. Deputy Commissioner of Police/Superintendent of Police (Ex-officio)	-	Member
iii. Chief District Medical Officer of Health (District Concerned) (Ex-officio)	-	Member
iv. Executive Engineers, Road Owning Agencies (District Concerned)	-	Member
v. Representative of Regional Office, MoRTH	-	Member
vi. Project Director, NHAI	-	Member
vii. Executive Officer of Municipal Bodies/Urban/Notified Bodies	-	Member
viii. At least one Civil Society Organisation (CSO) or any other Non-Government Organization (NGO) working on improving road safety in the state	-	Member (s)
ix. District Transport Officer	-	Member
x. Concerned Superintending Engineer/Executive Engineer, PWD as District Administrator of State Highways & Major District Roads	-	Member Secretary

The terms of reference and function of the District Road Safety Committees shall be, as under:

- I. Periodic review of the road accidents in the district
- II. Monitor the implementation of State Road Safety policy and the targets set under it.
- III. Implement directions of the Supreme Court Committee on Road Safety, Government of India and the State Government as may be issued from time to time on matters of road safety.
- IV. Implementation of decisions of the State Road Safety Council in the district.
- V. Regularly track and update State Road Safety Council on details of Road crashes that took place in the district, which shall include:
 - a. Details of the vehicle.
 - b. Causes of crash.
 - c. Details of spot investigation, evidence if any.
 - d. Details of offender/s (if any).
 - e. Details of Victim/s and victims latest condition.
 - f. Type of injury caused.
 - g. FIR registered if any.
- VI. Publish road accident data on monthly basis on public domain on:
 - (i) The district website portal (to be widely publicised).
 - (ii) The MoRTH portal (<http://morth-roadsafety.nic.in/edisha/index.aspx>)
- VII. Develop a district road safety plan.
- VIII. Ensure forensic crash investigation u/s 135A of the Motor Vehicle Act for all mass fatality crashed in the district.
- IX. Ensure optimal positioning of ambulances to help improve response time and handover time to hospitals.
- X. Ensure adequate availability of different ambulance types as per caseload in the district.
- XI. Prepare an emergency Medical plan for mass fatality accidents in the district.
- XII. Ensure linkage between hospitals and ambulances through setting up a prior notification system. Ensure linkages between hospitals to find out the availability of beds in case of emergency.
- XIII. Act as the nodal body for placing, requirement/s, and disbursal of road safety funds and interact with State Road Safety Council as and when required.
- XIV. Provide regular inputs to the State Road Safety Council/Lead Agency of State and recommend road safety measures especially with regard to identification of major accident-prone areas/Black spots etc. and also in areas regarding the importance of 4Es viz Engineering, Education, Enforcement & Emergency.
- XV. Promote Good Samaritans to assist the road accident victims.
- XVI. Provide suggestion/s to State Government as and when requested to formulate or amend:
 - a. Rules U/s 107, U/s 138, U/s 176, U/s 210D, U/s. 215 D of the MV (A) Act, 2019
 - b. Scheme U/s 135 of the MV (A) Act, 2019

The District Road Safety Committee shall hold its meeting at least fortnightly on a virtual platform and meet physically at least once a month at a venue prescribed by the Chairman. The minutes of the meeting shall be made public on the

district website within 48 hours of the meeting and also be uploaded on the web portal of MoRTH as given in VI (ii) above and in the format designed and approved by MoRTH.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

O. P. MISHRA, Spl. Commissioner (Road Safety)